21.5.18 पंचायत राजस्व लेख आरक्षित मिश्रा केन्द्र कार्यालय
पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी
या मुकदमा, लम्बित विवरण, सुनवाई हेतु पंचायत
को दिया गया। पंचायत का अवलोकन किया
गया। हल्का पटवारी का विवरण लिया गया।
प्रकरण में खे.नं. 232 में जिला आवंटन किया
गया है व उनका आवंटन का कब्जा बनाया
गया है। आवंटन के समय उनको
नजीम के अनुसार में मौके पर कोई
कब्जे व रिकार्ड को जांच कर राजस्व नक्शे में
पंचायत के हिस्सेदार नजीम को कार्यवाही
की जावे। नजीमुद्दीन कुरैशी को पालनार्थ आदेश
जारी है। पंचावली फैसल शुमार होकर अन्त
में कम है। आदेश सभी आम में सुनाया
गया।

21-5-18

उपखण्ड अधिकारी
सांगरनेर